अनुदान संख्या 31 – वित्तीय सेवाएं विभाग
GRANT No. 31 - DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3710,78,00	13084,69,00	12528,65,62	-556,03,38
पूरक	Supplementary	9373,91,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				536,70,58
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	47800,03,00	74118,01,00	62865,24,00	-11252,77,00
पूरक	Supplementary	26317,98,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				11252,77,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	56803.00	26911.00	26905.63	-5.37
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-29893.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थाएं	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions					
मू.	O.	1084.00		84.00	83.77	-0.23
पु.	R.	-1000.00				
मुख्य शीर्ष "2885'' उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals					
मू.	O.	31003.00				
पू.	S.	2009.00		11800.00	11800.00	..
पु.	R.	-21212.00				
मुख्य शीर्ष "3465'' सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	Major Head "3465" General Financial and Trading Institutions					
मू.	O.	261001.00				
पू.	S.	935381.00		1195181.00	1193772.01	-1408.99
पु.	R.	-1201.00				

(I) ₹32503.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹32000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹32503.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹32000.00 lakhs accounted for under the following major heads:

(का) मुख्य शीर्ष "2416" – "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) – राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अंशदान" – ₹1000.00 लाख; और

(A) Major Head "2416"–"National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)–Contribution to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)" - ₹ 1000.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष "2885'' – "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं – औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को सहायता – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत प्रदत्त शिशु ऋणों की त्वरित पुनर्अदागयी पर 2% की ब्याज छूट में सब्सिडी'' – ₹31000.00 लाख।

(B) Major Head "2885" – "Industrial Financial Institutions – Assistance to Industrial Finance Institutions - Subsidy to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in Interest Subvention of 2% on prompt repayment of Shishu loans extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)" – ₹ 31000.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कार्यान्वयन एजेंसी के पास पूर्ववर्ती वर्ष के खर्च न किए गए शेष की उपलब्धता के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agency.

(II) मुख्य शीर्ष "3465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाएं – सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता – ऋण मोरेटोरियम के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सहायता योजना'' के अंतर्गत जुलाई, 2021 और मार्च 2022 में पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹184681.00 लाख की निधियां उपलब्ध कराईं गई तथापि कम दावों के निपटान के कारण ये ₹1408.99 लाख की सीमा तक निधियां अप्रयुक्त रहीं।

(II) Under Major Head "3465" – "General Financial Institutions – Assistance to General Financial Institutions – Compounded Interest Support Scheme for Loan Moratorium" – funds of ₹184681.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grants in July, 2021 and March, 2022 which, however, remained unutilized to the extent of ₹1408.99 lakhs – due to settlement of less claims.

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के तहत पेंशन – भारतीय जीवन बीमा निगम को वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भुगतान'' के अंतर्गत – ₹34502.00 लाख की बचत (₹41002.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावों की प्राप्ति और पूर्ववर्ती वर्ष में खर्च न की गई शेष राशियों की उपलब्धता के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Pensions under Social Security Schemes - Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens" – saving of ₹34502.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41002.00 lakhs) was due to receipt of less claims and availability of unspent balances of previous year.

(IV) मुख्य शीर्ष "3465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाएं – सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता – राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी (एनसीजीटीसी) को सहायता" के अंतर्गत – ₹250001.00 लाख की बचत (₹260001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समय सीमा के भीतर कतिपय शर्तों को पूरा न करने की वजह से ऋण गारंटी निधि के मूल कोष की वृद्धि के प्रति निधियों के उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3465" – "General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions - Assistance to National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC)" - saving of ₹250001.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹260001.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds towards enhancement of corpus of Credit Guarantee Fund owing to non-fulfillment of certain conditions within time limit.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹394.37 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 79 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹394.37 lakhs occurred constituting 79 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतों का निम्नलिखित शीर्षों के अधीन आंशिक रूप से (₹14789.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया जैसा कि मार्च, 2022 में ₹2010.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः—

(का) मुख्य शीर्ष "2235" — "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम — सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा — अटल पेंशन योजना (एपीवाई) — ₹4999.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" — "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं — औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को सहायता — संकटग्रस्त परिसम्पत्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन" — ₹9790.00 लाख।

(III) बचतों को मुख्य शीर्ष "3465" — "सामान्य वित्तीय संस्थाएं — सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता — राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक को सहायता अनुदान" — के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित भी किया गया — ₹249300.00 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹250700.00 लाख के पूरक प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार संस्था की स्थापना के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹1125277.00 लाख) दिसंबर, 2021 एवं मार्च 2022 में प्राप्त किए गए ₹2631798.00 लाख के पूरक अनुदान का 43 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

2.(I) The above savings were partly (₹14789.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2010.00 lakhs in March, 2022 under the following heads:-

(A) Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Pensions under Social Security Schemes – Atal Pension Yojana (APY)" – ₹4999.00 lakhs.

(B) Major Head "2885" – "Industrial Financial Institutions – Assistance to Industrial Finance Institutions – Redemption of Securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)" – ₹9790.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under major head "3465" – "General Financial Institutions – Assistance to General Financial Institutions – Grant-in-Aid to National Bank for Financing Infrastructure and Development" – excess of ₹249300.00 lakhs (against the supplementary provision of ₹250700.00 lakhs obtained in March, 2022) was due to establishment of the institution as per decision of the Cabinet.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1125277.00 lakhs) constituted 43 percent of the supplementary grants of ₹2631798.00 lakhs obtained in December, 2021 and March, 2022 and constituted 15 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4416" कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head "4416" Investments in Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	320000.00			
पू.	S.	821799.00	1216800.00	1216800.00	..
पु.	R.	75001.00			
मुख्य शीर्ष "4885" उद्योगों तथा खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4885" Other Capital Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	160001.00			
			85000.00	85000.00	..
पु.	R.	-75001.00			
मुख्य शीर्ष "5465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Major Head "5465" Investments in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	4200001.00			
पू.	S.	1800000.00	4960000.00	4960000.00	..
पु.	R.	-1040001.00			
मुख्य शीर्ष "7465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं को ऋण	Major Head "7465" Loans for General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	100000.00			
पू.	S.	5000.00	19724.00	19724.00	
पु.	R.	-85276.00			

(I) ₹4.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹4.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under four heads.

(II) मुख्य शीर्ष – "4885'' – "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय निर्यात–आयात बैंक की शेयर पूंजी में अंशदान'' के अंतर्गत – ₹75000.00 लाख की बचत (₹150000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार के निर्णय के अनुसार इक्जिम बैंक में कम निवेश के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4885" - "Investments in Industrial Financial Institutions – Investments in Public Sector and other Undertakings – Subscription to the Share Capital of Export-Import Bank of India" – saving of ₹75000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150000.00 lakhs) was due to less investment in EXIM Bank as per decision of the Government.

(III) मुख्य शीर्ष – "5465'' – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों बैंकों आदि में निवेश – सरकारी प्रतिभूतियां (बांड) जारी करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुर्नपूंजीकरण'' – ₹1540000.00 लाख की बचत (₹2000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरीक्षण की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कम पुनर्पूंजीकरण के कारण हुई।

(III) Under Major Head "5465" – "Investments in General Financial Institutions – Investments in Public Sector and other Undertakings Banks etc. – Recapitalization of Public Sector Banks through issue of Government Securities (Bonds)" – saving of ₹1540000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000000.00 lakhs) was due to less recapitalization of Public Sector banks owing to revision of financial position of Pubic Sector Banks.

(IV) मुख्य शीर्ष– "7465'' – "सामान्य वित्तीय संस्थाएं – आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत ऋण – ₹85276.00 लाख की बचत (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से कम दावों की प्रापति के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "7465" – "General Financial Institutions – Loans under Partial Credit Guarantee Scheme" – saving of ₹85276.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Small Industries Development Bank of India (SIDBI).

4.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹75001.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने उपयोग की गई जैसा कि मुख्य शीर्ष "4416" – "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार के हिस्से का अंशदान'' के अंतर्गत ₹821799.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4.(I) The above savings were partly (₹75001.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹821799.00 lakhs under Major Head "4416" – "Investments in Public Sector and other Undertakings – Contribution of Government's Share for recapitalization of Regional Rural Banks (RRBs)".

(II) बचतों को मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी प्रतिसंतुलित किया गयाः–

(II) Savings were also offset under Major Head "5465" – "Investments in General Financial Institutions" - under the following heads: -

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम बैंकों आदि में निवेश – बीमा कंपनियों का पुनर्पूंजीकरण" – ₹5000.00 लाख का अधिक व्यय (₹495000.00 लाख के पूरक प्रावधान की तुलना में) सरकार के निर्णय के अनुसार बीमा कंपनियों

(A) "Investments in Public Sector and other Undertakings Banks etc. – Recapitalization of Insurance Companies" – excess of ₹5000.00 lakhs (against the supplementary provision of ₹495000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds

में चुकता पूंजी की वृद्धि के प्रति अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) "आरक्षित निधि को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि" – ₹495001.00 लाख का अधिक व्यय (₹1304999.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1504999.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार के निर्णय के अनुसार निधि के मूलकोष के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

towards enhancement of paid up capital in Insurance companies as per decision of the Government.

(B) "Transfers to Reserve Fund – National Investment Fund" – excess of ₹495001.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1504999.00 lakhs including supplementary grant of ₹1304999.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards corpus of the fund as per decision of the Government.